<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

06 .02.2024

प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मैसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशकों जग नारायण सिंह और सतीश कुमार सिंह और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित कुल **12.96 करोड़ रुपए** की संपत्ति, जिसमें **5.14 करोड़ रुपए** (लगभग) की 03 अचल संपत्ति और 01 चल संपत्ति (एचडीएफसी, एफडी खाता) **7.82 करोड़** (लगभग) रुपये की शामिल हैं, को अंनतिम रूप से जब्त किया है।

ईडी ने मैसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत औरंगाबाद और रोहतास जिलों में बिहार राज्य पुलिस द्वारा दर्ज 24 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की । आरोप है कि मैसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड अवैध रेत खनन और रेत की अवैध बिक्री में शामिल रही है और इससे सरकारी खजाने को **249.63 करोड़ रुपए** (लगभग) की राजस्व हानि हुई है।

ईडी की जांच से पता चला है कि औरंगाबाद और रोहतास सहित बिहार के विभिन्न जिलों में अवैध रेत खनन और रेत की अवैध बिक्री का कारोबार एक सिंडिकेट द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसमें मैसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक सिंडिकेट के सदस्य पाए गए हैं। यह पाया गया है कि आरोपी कंपनी मैसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड ने अपने निदेशकों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ अवैध रेत खनन और रेत की बिक्री से उत्पन्न अपराध की आय से बड़ी चल और अचल संपत्ति अर्जित की, जैसा कि ऊपर बताया गया है और ऐसी संपत्तियों का अनुमान लगाया है।

इससे पहले तत्काल मामले में, पीएमएलए के प्रावधानों के तहत तलाशी की गई और नकदी और बैंक शेष/एफडी के रूप में **7.10 करोड़ रुपए** (लगभग) की अचल संपत्तियाँ जब्त/फ्रीज की गई, जिसकी पुष्टि माननीय न्याय निर्णयन प्राधिकारी ने की। इसके अलावा मैसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों को 16.09.2023 को गिरफ्तार किया गया और वर्तमान में वे न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में 10.11.2023 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटना के समक्ष अभियोजन शिकायत भी दायर की गई है और माननीय न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया है।

आगे की जांच जारी है।